फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

राज0 सरकार बनाम मंगली वगै0

किस्म मुकदमा– प्रा0पत्र

मु0नं0– 66/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.06.23	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 132 एल0आर0 एक्ट 1956 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम रेटा पटवार हल्का दुब्बी की भूमि खसरा नम्बर 320 में से 960 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 305 में से 1440 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 306 में से 96 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 304 में से 1008 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 289 में से 1824 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 298 में से 720 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 297 में से 720 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 121 में से 1536 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 38 में से 720 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 17 में से 6600 वर्गमीटर, भूमि में मौके पर सीसी एवं ग्रेवल सडक बनी हुई है जिसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। इत्यादि पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित खातेदारान को नोटिस जारी किए गए। रा0 उ0 प्रा0 वि0 रेटा जरिए संस्था प्रधान की ओर से एड0 अमरनाथ शर्मा द्वारा वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। अप्रार्थी मंगली की ओर से एड0 निहाल सिंह गुर्जर द्वारा वकालतनामा पेश किया लेकिन जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि उक्त वर्णित प्रश्नगत भूमि में से मौके पर रास्ता चालू है लेकिन यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है जिस दर्ज किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।चूंकि उक्त रास्ता मौके पर चालू है जिसे नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु राज0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू–राजस्व नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के अन्तर्गत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु प्रावधान किए गए है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रेटा पटवार हल्का दुब्बी की भूमि खसरा नम्बर 320 में से 960 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 305 में से 1440 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 306 में	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

राज० सरकार बनाम मंगली वगै०
मु० नं० 66/2022

से 96 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 304 में से 1008 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 289 में से 1824 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 298 में से 720 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 297 में से 720 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 38 में से 720 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 17 में से 6600 वर्गमीटर, भूमि संबंधित खातेदार की खातेदारी का भाग रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे। प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा ट्रैस निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)